प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 21.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 09 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6001 द्वारा मोटरसाइकिल व आटो में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 6001 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मलोरना से कालर द्वारा मोटरसाइकिल व आटो में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (01.नुरूल हसन पुत्र असगर अली निवासी करमाकला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ग्रामीणों की मदद से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्ति को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 श्री बलराम यादव, का0 रजनीश शरण शाहू, हो0गा0चा0 सुनील पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 126 वाहनों से 1,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 21.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 126 वाहनों से 1,36,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कन्विक्शन”*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 21.04.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा थानाध्यक्ष दुधारा श्री गिरीश प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त लच्छी बंजारा पुत्र हेतिम बंजारा निवासी भरवलिया बूधन थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 14 राशि गोवंशीय पशु व 02 अदद कटे हुए बैल बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री बजरंगी सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 92/2001 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त लच्छी बंजारा उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 1050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान, स्टॉक व सीसीटीवी व्यवस्था की हुई जांच

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु शराब की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस क्रम में थाना अध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय* एवं आबकारी निरीक्षक *श्री राज किशोर* द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र की कंपोजिट, अंग्रेजी एवं देसी शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानों के स्टॉक रजिस्टर का भौतिक मिलान किया गया तथा बिक्री अभिलेखों की जांच की गई।

साथ ही दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता को भी परखा गया एवं यह सुनिश्चित किया गया कि सभी कैमरे सुचारु रूप से कार्य कर रहे हों। संबंधित दुकानदारों को शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर ही शराब की बिक्री करने के निर्देश दिए गए।

चेकिंग के दौरान देसी एवं अंग्रेजी शराब की बिक्री व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।